

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक B/4403 / जबलपुर, दिनांक 04/07/2023
दो-14-9/83 बैच भाग-दो

1. कुमारी आरजू खण्डेलवाल, पर्सनल असिस्टेंट
2. श्री विपिन कुमार अग्रहरी, पर्सनल असिस्टेंट

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से मान्यता प्राप्त संस्थान ग्वालियर लॉ कॉलेज, ग्वालियर से एलएल.बी त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने एवं परीक्षा" में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे, शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/4404 / जबलपुर, दिनांक 04/07/2023
दो-14-9/83 बैच भाग-दो

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (M0PR0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 2337/स्था ग्वालियर, दिनांक 02.06.2023 के संदर्भ में।

//2//

2. रजिस्ट्रार(प्रशा.)/ओ.एस.डी.कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कुमारी आरजू खण्डेलवाल, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
6. श्री विपिन कुमार अग्रहरी, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(यू. एस. दुबे)

ओ.एस.डी.कम-पी.पी.एस.